योगी कैबिनेट ने दी उप्र फुटवेयर, लेदर व नान लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025 को मंजूरी, एक दर्जन से ज्यादा अहम फैसले भी हुए

लेदर पार्क के लिए जमीन पर 25 से 80% तक छूट

कैबिनेट फैसला 1

लखनऊ, विशेष संवाददाता। दुनिया भर में चल रहे ट्रेड वार से आई चुनौतियों से निपटने को यूपी सरकार अब नई फुटवियर, लेदर व नान लेदर क्षेत्र विकास नीति-2025 लेकर आई है। इससे चर्म उत्पाद इकाई लगाने पर कैपिटल सब्सिडी, जमीन पर सब्सिडी के अलावा कई अन्य तरह की रियायतें व सुविधाएं दी जाएंगी। जमीन खरीदने पर सब्सिडी 25 से 80 प्रतिशत होगी जबकि पूंजीगत सब्सिडी कुल पूंजी निवेश का 20 से 35 तक प्रतिशत मिलेगी। एमएसएमई विभाग के मंत्री राकेश सचान ने गुरुवार को कैबिनेट से इस नीति के पास होने के बाद पत्रकारों को बताया कि इसमें लेदर व नान लेदर-दोनों सेक्टरों को राहत दी गई है।

मिलेगी छूट: फुटवियर, चर्म उत्पाद, मशीनरी निर्माण यूनिट के लिए पश्चिमी यूपी में 25 प्रतिशत छूट होगी जबकि मध्य यूपी, बुंदेलखंड व पूर्वांचल में जमीन खरीदने पर 35 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। मेगा एंकर यूनिट व क्लस्टर श्रेणी में यह छूट पश्चिमी यूपी में 75 प्रतिशत व राज्य के बाकी तीन हिस्सों में जमीन लेने पर 80 प्रतिशत छूट मिलेगी। 1000 तक रोजगार देने वाली परियोजनाओं को पांच साल तक बिजली में दो रुपये प्रति यूनिट में छूट मिलेगी। कौशल विकास प्रशिक्षण में सामान्य वर्ग के लिए पाठ्यक्रम फीस में 30 प्रतिशत की सब्सिडी अधिकतम 15000 रुपये प्रति सामान्य वर्ग को मिलेगी। महिला, एससी व एसटी व दिव्यांग में 20000 हजार रुपये प्रति अभ्यर्थी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश भारत में आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करते और आयात कम करने के लिए सौलस, बकल्स और अलंकरण जैसे फुटवियर घटकों के निर्माण में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर सकता है।

कैबिनेट के गुरुवार को लिए गए अहम फैसलों की जानकारी देते वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना, राकेश सचान और योगेंद्र उपाध्याय।

50 करोड़ से 150 करोड़ का निवेश सब्सिडी के लिए जरूरी होगा

02 सौ करोड़ न्यूनतम निवेश की सीमा क्लस्टर के लिए

- चर्म उद्योग लगाने के लिए कई तरह की राहत मिलेंगी

क्लस्टर यूनिट के न्यूनतम निवेश दो सौ करोड़

क्लस्टर यूनिट के लिए200 करोड़ न्यूनतम निवेश की सीमा तय की गई है तो फुटवियर व लेदर मशीन निर्माण यूनिट पर सब्सिडी के लिए 50 करोड़ से 150 करोड़ तक का निवेश जरूरी होगा। पूंजी निवेश के जरिए ग्रौस ब्लॉक में 25 फीसदी या अधिक की बढ़ोतरी पर विस्तार परियोजनाओं को भी पॉलिसी के दायरे में रखा गया है। स्टैंडअलोन यूनिट या फुटवियर व लेदर मशीन निर्माण यूनिट को पश्चिमांचल में लगाने पर 25 फीसदी लैंड सब्सिडी व पूंजी निवेश का 20 फीसदी (अधिकतम 30 करोड़) तक कैपिटल सब्सिडी व मध्यांचल, पूर्वांचल या बुंदेलखंड में लगाने पर 35 फीसदी लैंड सब्सिडी और पूंजी निवेश का 30 फीसदी तक (अधिकतम 45 करोड़) कैपिटल सब्सिडी की सीमा मिलेगी।

घरौनी को अब कानूनी दर्जा

वरासत, संशोधन की सुविधा

लखनऊ, विशेष संवाददाता। **2** राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में तैयार की जा रही घरौनी को कानूनी मान्यता दे दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरौनी ही संपत्ति का दस्तावेजी सुबूत माना जाएगा और इसके आधार पर बैंकों से कर्ज लिया जा सकेगा। इसके आधार पर ही संपत्तियों में नाम दाखिल-खारिज कराया जा सकेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 के प्रारूप को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, अब इसे विधानमंडल में रखा जाएगा।

अब उत्तराधिकार, रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, रजिस्ट्रीकृत उपहार विलेख, सरकार या सरकारी उपक्रम द्वारा की गई नीलामी, भूमि अधिग्रहण, रजिस्ट्रीकृत वसीयत, न्यायालयीन डिक्री, विभाजन या उपविभाजन मान्य होगा। लिखित पारिवारिक समझौते से घरौनी में आबादी भूखंड स्वामी के नाम में परिवर्तन होता है, तो उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों में राजस्व निरीक्षक निर्धारित प्रक्रियानुसार इसमें नाम परिवर्तन/नामांतरण करने के लिए अधिकृत होगा। इससे अतिरिक्त अन्य निर्विवाद मामलों में तहसीलदार या नायब तहसीलदार को घरौनी में नाम दर्ज कर सकेगा।

झंडा फहराने पर खर्च होंगे 52 करोड़ रुपये

लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 52 करोड़ रुपये खर्च कर 60 लाख झंडा फहराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। नगर विकास विभाग यह पैसा राज्य वित्त आयोग से देगा। पंचायती राज विभाग स्वयं सेवी संस्थाओं को 40 करोड़ रुपये घर घर झंडा फहराने के लिए देगा।